

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

- | | |
|---|--|
| (1) स.ले.अधि. भवन भंडार झाँसी | (7) स. ले. अधि., AGE(I) मनौरी ईलाहाबाद |
| (2) स.ले.अधि. भवन भंडार , चकेरी कानपुर | (8) स.ले.अधि. भवन भंडार (MES) कानपुर |
| (3) लेखा कार्यालय, दुर्ग अभियंता (वा. से.) गोरखपुर | (9) स.ले.अधि. भवन भंडार, GE(E) लखनऊ |
| (4) लेखा कार्यालय, दुर्ग अभियंता (MES) फैजाबाद | (10) स.ले.अधि. भवन भंडार बबीना |
| (5) लेखा कार्यालय, दुर्ग अभियंता (वा. से.) बमरौली, ईलाहाबाद | |
| (6)) ले. का., दुर्ग अभियंता बी.के.टी. लखनऊ | |

विषय: क्षे.प्र.के.लखनऊ प्रशिक्षण: प्रोजेक्ट भवन पर पाठ्यक्रम।

निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिनांक 27/10/2016 से 28/10/2016 तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया गया है:

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमति/कुमारी)	लेखा सं.	पदनाम	कार्यालय
1.	सुनील कुमार	8341068	व.ले.प.	स.ले.अधि. भवन भंडार झाँसी
2.	रविंदर कुमार चतुर्वेदी	8340991	व.ले.प.	स.ले.अधि. भवन भंडार झाँसी
3.	हिमांशु त्रिवेदी	8340632	व.ले.प.	स.ले.अधि. भवन भंडार , चकेरी कानपुर
4.	आशुतोष कुमार श्रीवास्तव	8340584	व.ले.प.	लेखा कार्यालय, दुर्ग अभियंता (वा. से.) गोरखपुर
5.	सुधीर कुमार	8335794	स.ले.अ.	स. ले. अधि., AGE(I) मनौरी ईलाहाबाद
6.	आर. के. चौधरी	8335734	स.ले.अ.	स.ले.अधि. भवन भंडार (MES) कानपुर
7.	सैलेश कुमार यादव	8341816	ले. प.	स.ले.अधि. भवन भंडार, GE(E) लखनऊ
8.	जगदीश प्रसाद	8331497	स.ले.अ.	स.ले.अधि. भवन भंडार बबीना
9.	अभिषेक लाहीरी	8341796	ले. प.	स.ले.अधि. भवन भंडार बबीना
10.	मान सिंह	8337566	ले. प.	लेखा कार्यालय, दुर्ग अभियंता (MES) फैजाबाद
11.	संजय पंत	8337556	ले.प.	ले. का., दुर्ग अभियंता (वा. से.), बी.के.टी. लखनऊ
12.	शील चंद	8331471	व.ले.प.	ले. का., दुर्ग अभियंता (वा. से.) बमरौली, ईलाहाबाद

2. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित कर्मचारियों के प्रशिक्षण की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी मंजूर नहीं की जाए।
3. कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने कार्यालय से कार्य मुक्त करके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए।
4. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।

- ह -

व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

प्रतिलिपि:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| (1) प्रशासन 1अ अनुभाग | : | सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। |
| ✓(2) स्वचलन कक्ष | : | कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। |
| (3) क्षे. प्र. के. लखनऊ | : | सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। |



व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)